



छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Kanpur University, Kanpur)

कल्यानपुर, कानपुर-208024
Kalyanpur, Kanpur-208024
Pub. Affiliation Order, One Session, 2023.doc

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./271/2023

दिनांक : 14/06/2023

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुसंसा (दिनांक: 13.06.2023) एवं कार्य परिषद की अनुमति की प्रत्याशा में श्रीमती रमकली इकबाल बहादुर शुभ ऑफ कालेज, पुरवामीर, कानपुर नगर (KN191) को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों, विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०कॉम० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2023-24 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

1. शैक्षिक सत्र 2022-23 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2023-24 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सत्र 2022-23 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2023-24 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिणियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting the Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा। (मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने की स्थिति में)
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तथा भूमि व भवन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं का पुष्टिकरण भविष्य में होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिणियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
7. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
8. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अधीन किया जाएगा।
12. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे। सत्र की गणना बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा सीट आवंटन के सत्र से की जायेगी।
13. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ० (अनिल कुमार यादव)

कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
3. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. प्रबन्धक, श्रीमती रमकली इकबाल बहादुर शुभ ऑफ कालेज, पुरवामीर, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वैद्य० सहायक परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के कालेज लॉग-इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सी०डी०सी०/डीन, सम्बद्धता।
8. प्रभारी, पी०एम०यू०।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ० (अनिल कुमार यादव)

कुलसचिव



सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./264/2022

दिनांक : 19/05/2022

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांक 19.05.2022) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में श्रीमती रामकली इकाबल बहादुर गुप आफ कालेज पुरवामीर, कानपुर नगर (KN191) को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान विषयों एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एस-सी० पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०कॉम पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्था/महाविद्यालय की स्थलीय/ऑन-लाइन निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों (यथा- 1. एन०बी०सी० प्रमाण पत्र 2005 उपयुक्त नहीं है। 2. अनुमोदित प्राचार्य का बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने के प्रमाणित अभिलेख संलग्न नहीं है। 3. प्रामूत धनराशि कालातीत है।) को दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेगा।
2. यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting the Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा (मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने की स्थिति में)।
3. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. जिन संस्थानों/महाविद्यालयों को सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तथा भूमि व भवन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं का पुष्टिकरण भविष्य में होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
8. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या:- 226/सत्तर-2-2020-18 (31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
10. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
11. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अधीन किया जाएगा।
12. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे। सत्र की गणना बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा सीट आवंटन के सत्र से की जायेगी।
13. विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही महाविद्यालय द्वारा प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

(डॉ० अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक श्रीमती रामकली इकाबल बहादुर गुप आफ कालेजेस पुरवामीर, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वैया सहा० परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के कालेज लॉग-इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सी०डी०सी०/डीन, सम्बद्धन।
8. प्रभारी, पी०एम०यू०।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ० अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव